कार्यालय : निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार पटौदी, गुरुग्राम

नोटिस

दिनांक 01.09.2017

हरियाणा नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 1978 में दिये गये प्रावधान के अनुसार एतद्व द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका पटौदी के वार्ड न. 2 के उप–चुनाव के लिये दिनांक **08.09.2017** (शुक्रवार) से 13.09.2017 (बुधवार) तक (दिनांक 10.09.2017 को छोडकर) निम्नलिखित निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय में नामाकंन पत्र **प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00** बजे तक लिये जायेंगे।

क्रं. सं.	निर्वाचन अधिकारी का पद/नाम	नमाकंन पत्र दाखिल करने का निर्धारित स्थान	नगर पालिका का वार्ड नं0 जिसके नामांकन पत्र लिये जाने हैं।
1	तहसीलदार पटौदी।	कोर्ट रूम तहसील पटौदी भूतल, कमरा नं0 20 उपमण्डल स्तरीय सचिवालय पटौदी।	2

2. नामाकंन पत्रों की छानबीन दिनांक 14.09.2017 वीरवार को प्रातः 11:30 बजे से लगातार समाप्ति तक निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार पटौदी द्वारा कोर्ट रूम तहसील पटौदी, भूतल, कमरा नं0 20 उपमण्डल स्तरीय सचिवालय पटौदी में की जायेगी।
3. उम्मीदवार दिनांक 14.09.2017 को प्रातः 11:00 बजे से पहले निर्धारित प्रारुप में सम्बंधित निर्वाचन अधिकारी को यह सूचना दे सकेगा कि वह किसी भी कारण से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं हैं।
4. उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारी/नामांकन पत्र दिनांक 15.09.2017 शुक्रवार को प्रात– 11:00 बजे से सांयः 03:00 बजे तक वापिस लिये जा सकते हैं।
5. उम्मदवारों को चुनाव चिन्ह दिनांक 15.09.2017 शुक्रवार को सांय 03:00 बजे के पश्चात निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोर्ट रूम तहसील पटौदी, भूतल, कमरा नं0 20 उपमण्डल स्तरीय सचिवालय पटौदी में आवटिंत किये जायेगें।
6. चुनाव लडने वाले उम्मीदवारो की सूचि दिनांक 15.09.2017 (शुक्रवार) को निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य–2 स्थानो पर चस्पा की जायेगी ।
7. मतदान केन्द्रो की सूचि निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2017 (शुक्रवार) को मुख्य स्थानो पर चस्पा की जायेगी ।
8. मतदान दिनांक 24.09.2017 (रविवार) को प्रातः 7:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक किया जायेगा ।
9. डाले गये मतो की गणना मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद उसी मतदान केन्द्र पर की जायेगी ।

स्थानः– पटौदी।
दिनांक 01.09.2017

(प्रदीप देसवाल)
निर्वाचन अधिकारी एंव
तहसीलदार पटौदी।

पृ0क्रंमाक :– 1SPL /चुनाव   दिनांकः 01.09.2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला को उनकी अधिसूचना नं0 एस0ई0सी0/1एम0ई0/2017/1520 दिनांक 30.08.2017 के सन्दर्भ मे ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकूला ।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा चण्डीगढ़।
4. आयुक्त गुरुग्राम मण्डल गुरूग्राम।
5. उपायुक्त, गुरुग्राम।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, गुरुग्राम को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
7. सहायक निर्वाचन अधिकारी एंव सचिव मार्केट कमेटी हेलीमण्डी/पटौदी।
8. सचिव नगरपालिका पटौदी।

(प्रदीप देसवाल)
निर्वाचन अधिकारी एंव
तहसीलदार पटौदी।